

जिलाधिकारी महोदय
बाँदा की तहसील बबेरा
की प्रस्तावित मूल्यांकन
सूची, प्रभावी
माह- अगस्त 2015 से

कार्यालय जिलाधिकारी, बांदा।

संख्या : / स्टाम्प लिपिक-2015

दिनांक :

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम 4 के अधीन जनपद बांदा में उप निवन्धक क्षेत्राधिकार में स्थित सम्पत्तियों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु संलग्न सूची दिनांक 01.08.2015 से प्रभावी की जाती है। इस सूची के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित निर्देश का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय :-

1. प्रत्येक ऐसे विलेख, जिसमें सम्पत्ति के मूल्य के आधार पर स्टाम्प प्रभार्यता की गणना की जानी है, में न्यूनतम मूल्य की गणना इसी सूची के किस भाग के किस पृष्ठ के किस क्रमांक व कालम के अनुसार की गयी है, का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। यह सूचना स्टाम्प प्रभार्यता को प्रभावित करने वाली सूचना मानी जायेगी।
2. विलेख में अंकित सम्पत्ति की चौहद्दी में यदि कोई मार्ग है तो उस मार्ग की चौड़ाई तथा मार्ग के प्रचलित नाम का उल्लेख भी करना अनिवार्य होगा।
3. कृषक भूमि के अन्तर्ण विलेख के साथ उस सम्पत्ति के अद्यावधिक खसरे या किसान बही की सुसंगत अंश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. विलेख में अंकित सम्पत्ति, जिसका विकास किसी सड़क पर हो, के न्यूनतम मूल्य की गणना उस सड़क पर स्थित सम्पत्ति की सुसंगत दर के अनुसार ही किया जायेगा।
5. जिस कृषक / गैर कृषक / वाणिज्यिक सम्पत्ति के सामने पार्क हो तो उसके न्यूनतम मूल्य की गणना निर्धारित दर से करने के पश्चात 10 प्रतिशत मूल्य बढा कर की जायेगी। जिस कृषक / गैर कृषक / वाणिज्यिक सम्पत्ति की सीमाओं में एक से अधिक मार्ग हो, ऐसी सम्पत्ति के न्यूनतम मूल्य की गणना अधिक मूल्य दर वाले मार्ग की निर्धारित की गयी दर से करने के पश्चात 10

उप-निबंधक
बन्दा (बांदा)

19/7/15

प्रतिशत मूल्य बढ़ा कर दी जायेगी। यदि उपरोक्त दोनों परिस्थितियां विद्यमान हो तो ऐसी सम्पत्ति के मूल्य की गणना निर्धारित दर से करने के पश्चात् 20 प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर की जायेगी।

6. प्रत्येक ऐसे विलेख, जिसमें सम्पत्ति के मूल्य के अनुसार स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होता है, के साथ उस सम्पत्ति पर पहुंचने का मार्गदर्शक मानचित्र (नक्शा नजरी), तथा सम्पत्ति पर निर्माण होने की दशा में निर्माण का पूर्ण मानचित्र, जिसमें निर्मित क्षेत्र विलेख के पक्षकारों के नाम, पिता/पति का नाम, नजान नम्बर, गली मोहल्ला व डाक का पूरा पता तथा मानचित्र को ड्राफ्ट करने वाले का नाम पता व मोबाइल नं० अंकित करना अनिवार्य होगा। यदि प्रसंगत सम्पत्ति का पूर्व कोई इकरारनामा हुआ है तो उसके रजिस्ट्रेशन का पूर्ण विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा।



7. वाणिज्यिक भवनों के किराये की जो दरें इस सूची में निर्धारित की गयी है। दरें भूतल पर स्थित वाणिज्यिक प्रतिशठानों की है। वाणिज्यिक भवन की स्थिति बेसमेन्ट में या प्रथम तल पर होने की दशा में किराये की उक्त निर्धारित दर के 80 प्रतिशत तथा द्वितीय तल व तृतीय तल पर स्थित इकाई हेतु उक्त निर्धारित दर 70 प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम मूल्य की गणना की जायेगी। तृतीय तल या उससे अधिक तल पर स्थिति की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के न्यूनतम मूल्य की गणना उक्त सूची में निर्धारित भूतल स्थित किराये की दर के 60 प्रतिशत के आधार पर की जायेगी।

8. जिन क्षेत्रों में किसी अधिनियम के अधीन अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है उसके सम्बन्ध में विलेख में यह तथ्य लिखना अनिवार्य होगा कि सम्बन्धित सम्पत्ति अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होने की सीमा के अन्तर्गत है अथवा बाहर है।

9. एक मंजिल से अधिक परन्तु तीन मंजिल से कम मंजिल के भवन के अलग-अलग तल के अन्तरण विलेख में दो मंजिल की दशा में प्रत्येक मंजिल में अविभाजित भूमि का अंश 50 व 50 प्रतिशत होगा तथा तीन मंजिल की दशा में प्रत्येक मंजिल में भूमि का अविभाजित अंश 33-3 प्रतिशत होगा। इसी प्रकार किसी भवन के किसी तल की छत के अन्तरण विलेख में छत के न्यूनतम मूल्य की गणना सम्बन्धित स्थल की अकृषक भूमि की निर्धारित दर के अनुसार निम्न प्रकार की जायेगी :-

क- भूतल की छत के विक्रय पर निर्धारित दर के 1/2 भाग से

ख- प्रथम तल की छत के विक्रय पर निर्धारित दर के 1/3 भाग से



उप-निबंधक
नवेरु (गोंडा)

ग- द्वितीय तल की छत्त-के विक्रय पर निर्धारित दर के 1/4 भाग से

घ- तृतीय तल की छत के विक्रय पर निर्धारित दर के 1/5 भाग से

उपरोक्त प्रकार से प्रत्येक तल के ऊपर की छत के विक्रय पर निर्धारित अक्षरक भूमि की दर का एक भाग बढ़ता जायेगा अर्थात् चतुर्थ तल की छत हेतु 1/6, पंचम तल की छत हेतु 1/7 आदि।

10. मिट्टी निकासी हेतु मिट्टी की विक्री की दर...40...रुपये प्रति घनमीटर निर्धारित की जायेगी।

11. अन्तर्गत सम्पत्ति में बोखेल या कुआ नल आदि होने पर उसका मूल्य अलग से आंकलित किया जायेगा बोखेल का मूल्य.120000. प्रति बोखेल होगा तथा कुआ का मूल्य प्रति कुआ.60000 .तथा नल का मूल्य प्रति नल...20000..होगा।

12. अन्तर्गत सम्पत्ति में फलदार या बिना फलदार के वृक्ष होने की दशा में प्रति वृक्ष उनकी उम्र के अनुसार उनका मूल्य निम्नवत होगा

क्र०स०	वृक्षों की श्रेणी	10 वर्ष से कम आयु के वृक्ष का न्यूनतम मूल्य प्रति वृक्ष	10 वर्ष से अधिक आयु के वृक्ष का न्यूनतम मूल्य प्रति वृक्ष
1	सागौन	15000.00	25000.00
2	शीशम	10000.00	18000.00
3	खैर, कटहल, नीम	7500.00	12500.00
4	जामुन	2500.00	6500.00
5	यूकिलिटिस	5000.00	9000.00
6	आम, महुआ, अशोक	3000.00	6000.00
7	गूलर, सेमर, इमली, पीपल, बरगद व अन्य प्रजाति	2000.00	4000.00

उप-निबंधक
बवेस (बॉटा)

सिद्धांत

13. प्रस्तुत प्रलेखों के पंजीयन हेतु उक्त निर्धारित मूल्यदर न्यूनतम है वास्तविक बाजारी मूल्य इससे अधिक हो सकता है, जिस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।

14. भारतीय स्टाम्प अधिनियम की सुसंगत धारा-27 का सम्यक अनुपालन करते हुए प्रलेख में निम्नवत तथ्य वांछनीय हैं:-


(क) अन्तर्राष्ट्रीय कृषि भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में तथा आवासीय / व्यवसायिक भूमि का क्षेत्रफल वर्गमीटर में लिखना अनिवार्य है

(ख) रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 21 के अन्तर्गत जहाँ सम्पत्ति कृषि भूमि हो वहाँ उसके साथ मानचित्र भी संलग्न हो यह आवश्यक नहीं है कि वह पैमाने पर हो उसमें कृषि भूमि की 200 मीटर त्रिज्यातर्गत समस्त सम्पत्तियां पूर्ण विवरण के साथ दर्शायी जायेगी।

(ग) नगरीय क्षेत्रों की विक्रीत सम्पत्ति से सम्बन्धित अन्तरण विलेखों के साथ सम्बन्धित सम्पत्ति की पोस्ट कार्ड साइज की फोटोग्राफ ए 4 कागज पर चरपा कर प्रपत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।

(घ) किसी लेखपत्र द्वारा विक्रीत ऐसी कृषि भूमि जो सड़क पर है और आबादी से भी संलग्न है का मूल्यांकन आबादी के समीप कृषि भूमि हेतु निर्धारित दर में 25 प्रतिशत बढ़ाकर किया जायेगा। आबादी से सटी भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसकी 200 मीटर की त्रिज्या में आबादी/इमारत तामीर हो/ आवासीय गतिविधियाँ हो।

15 विक्रीत आवासीय सम्पत्ति की 50 मीटर त्रिज्या में ब्यवसायिक गतिविधियां अथवा बाजार होने पर उस सम्पत्ति(मयनिर्माण) का मूल्यांकन कुल मूल्यांकन पर 10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी कर मूल्यांकन किया जायेगा। ब्यवसायिक गतिविधियों से तात्पर्य कम से कम 5 दुकानें अथवा मेला, हाट व बाजार से है। यह भात प्रारूप 3 में दिये गये रोड सिगनेट पर लागू नहीं होगा तथा उस सम्पत्ति पर भी लागू नहीं होगा जिसका मूल्यांकन व्यावसायिक किराये के आधार पर किया गया है।


सुभाष चंद्र बोस (बॉस)

16.7.2015

16 एक ही सड़क जो भिन्न-भिन्न मोहल्लो से सम्बन्धित हो, की दरों में भिन्नता होने पर अधिकतम दर से मूल्यांकित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि एक लेखपत्र द्वारा बिक्रीत सम्पत्ति जो दो मौजों/मोहल्लो की सीमाओं में पड़ती हो और आपस में सटी हो तो उसका मूल्यांकन अधिकतम दर से किया जायेगा।

17 गैर उल्लिखित मोहल्ला जिसके सम्बन्ध में मूल्य-दर निर्धारित करना छूट गया हो, उनका मूल्यांकन समोपवर्त, मोहल्ला के निर्धारित मूल्य-दर से कम पर अनुमन्य नहीं होगा।

18 0.05 हे0 यानि 500 वर्ग मी0 तक के कृषि भूमि जो कि नगरीय, अर्द्धनगरीय अथवा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो एवं आबादी अथवा सड़क या दोनों से संलग्न है का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची के भाग 02 प्रारूप 02 में दी गई बेसिक वैल्यू से मूल्यांकित किया जायेगा।




19 यदि किसी मुख्य मार्ग के साथ-साथ सर्विस लेन भी है और अंतरित सम्पत्ति सर्विस लेन पर स्थित है तो अंतरित सम्पत्ति को स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता हेतु मुख्य मार्ग पर ही माना जायेगा।

20 यदि ऐसी कोई सम्पत्ति जो एक यूनिट के रूप में हो, में से आंशिक रूप से एक से अधिक विक्रय पत्रों के माध्यम से हस्तान्तरित की जाती है और क्रेतागण एक ही परिवार के सदस्य है (पति, पत्नी, पिता एवं पुत्र आदि) हो तो ऐसी सभी सम्पत्तियों का मूल्यांकन स्टाम्प देयता के प्रयोजन से उस यूनिट को एक मानते हुए उच्चतम दर से किया जायेगा।

21 यदि किसी लेखपत्र में स्टाम्प शुल्क की प्रभार्य दरों में छूट प्राप्त की जाती है तो लेखपत्र में तत्संबंधी सुसंगत अधिसूचना/शासनादेश का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।


22 प्रारूप 04 में कृषक भूमि की सिंचित दरें दी गई है यदि अंतरित भूमि असिंचित है तो उसका मूल्यांकन सिंचित भूमि हेतु दी गई दर में 10 प्रतिशत कटौती कर मूल्यांकन किया जायेगा।

23. यदि विक्रीत कृषि भूमि राष्ट्रीय/राज्य/जनपदीय मार्ग पर स्थिति है तो निर्धारित सड़क की दर (प्रारूप 4 के कालम 8) में 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ मूल्यांकन किया जायेगा। किन्तु यदि विक्रीत भूमि खडज्जा मार्ग, गइला मार्ग पर स्थिति में निर्धारित सड़क की दर (प्रारूप 4 के कालम 8) में 10 प्रतिशत कम करके मूल्यांकन किया जायेगा।




अबेरु (बोर्ड)

24. औद्योगिक भूमि की दरों (घोषित औद्योगिक क्षेत्र/प्रारूप -3 (क) व (ख) को छोड़ कर) हेतु सम्बन्धित क्षेत्र की अकृषक दर में 25 प्रतिशत कमी इस उपबन्ध के साथ की जायेगी कि जिन्हें ब्रासन/उद्योग विभाग/असिस्टेंट कलेक्टर/परगना अधिकारी द्वारा उद्योगिक भूमि घोषित किया गया है अथवा जिस पर उद्योग स्थापित है, परन्तु इस सम्बन्ध में समक्ष अधिकारी/उद्योग विभाग/परगना अधिकारी द्वारा जारी औद्योगिक भूमि होने का प्रमाण/आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्तथा उपरोक्त दरें अनुमन्य नहीं होंगी।

25. स्थापित औद्योगिक संस्थानों में लगी मशीनों एवं अन्य उपकरणों का मूल्यांकन मान्यता प्राप्त पंजीकृत वैल्यूअर से प्राप्त आख्या के आधार पर किया जायेगा। आख्या में वैल्यूअर की पंजीकरण संख्या, पत्र व्यवहार का पता तथा मोबाइल नम्बर साफ-साफ अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।


उप-निबंधक
दरें (बीगा)





भाग-1

प्रारूप-1

रजिस्ट्रीकरण उप जिला.....बबेरु..... जिला.....काठ..... में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में -

ख-अर्धनगरीय क्षेत्र

उप जिला.....के अधीन अर्धनगरीय क्षेत्र (विकास प्राधिकरण.....आवास विकास परिषद या नगर क्षेत्र की दो कि०मी० की परिधि व अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र

क्र०सं०	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण यदि कोई हो तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाय)	परगना या हल्का का नाम	पुयुक्त किये जाने वाले सौपटयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4	5
1	आजाद नगर	वार्ड नं० 8	बबेरु	0008
2	करुइया पुरवा	वार्ड नं० 1	"	0001
3	गांधी नगर	वार्ड नं० 6	"	0006
4	देवी नगर	वार्ड नं० 3	"	0003
5	दूल थोक	वार्ड नं० 12	"	0012
6	प्रभाकरनगर	वार्ड नं० 7	"	0007
7	विभार थोक	वार्ड नं० 4	"	0004
8	मनोरथ थोक वस्ती	वार्ड नं० 5	"	0005
9	मनोरथ थोक	वार्ड नं० 9	"	0009
10	राधव थोक	वार्ड नं० 2	"	0002
11	शास्त्री नगर	वार्ड नं० 10	"	0010
12	श्रंगार थोक	वार्ड नं० 11	"	0011

उप-निबंधक
बबेरु (बीए)

16-7

भाग-1

प्रारूप-1

रजिस्ट्रीकरण उप जिला बबेरू, जिला बांदा में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में -


ग-ग्रामीण क्षेत्र

उप जिले के अधीन आने वाले ग्रामीण क्षेत्र				
क्र०सं०	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण यदि कोई हो तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाय)	परगना या हल्का का नाम	पुयुक्त किये जाने वाले सौफ्टयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4	5
1	अनवान		बबेरू	1001
2	अमलोखर		जिला बांदा	1002
3	अरथरा			1003
4	अरवारी बांगर			1004
5	औदहा			1005
6	अनौसा			1006
7	औकाना			1007
8	अरमार			1008
9	अमेठी बांगर			1009
10	अछरील			1010
11	अण्डौली			1011
12	अधांव			1012
13	अहार			1013
14	अंदौरा			1014
15	औगासी बांगर			1015
16	अछाह			1016
17	अमरगंज			1017
18	अमेठी खादर			1018
19	अरवारी खादर			1019
20	आलमपुर			1020
21	अलिहा,			1021
22	औगासी खादर			1022
23	इंगुवा			1023
24	उमरी अमलोखर			1024
25	इटरा बढौनी			1025
26	इटवा			1026

उप-निबंधक
बबेरू (बीबा)

167

27	उमरी		1027
28	उमरहनी		1028
29	उडकी माफी		1029
30	केलहतुवा		1030
31	कोनी		1031
32	करिगा		1032
33	कलाना		1033
34	कायल		1034
35	कौहारा		1035
36	कुमेंदासानी		1036
37	कुचेंदू		1037
38	किटहाई		1038
39	कुचौली		1039
40	करहुली माफी		1040
41	कदोहर		1041
42	कोरम		1042
43	कोरारी		1043
44	कोर्रा बुजुर्ग		1044
45	कठार बांगर		1045
46	कठार खादर		1046
47	कोरही		1047
48	कोलौरा		1048
49	कुमेंडा		1049
50	कैरी		1050
51	कमासिन		1051
52	कबीरपुर		1052
53	कोर्रा खुर्द		1053
54	खरौली		1054
55	खमरखा		1055
56	खेरा खादर		1056
57	खेरा बांगर		1057
58	खटान बांगर		1058
59	खटान खादर		1059
60	गुरौली सपहाई		1060
61	गुजैनी		1061
62	गौरा बांगर		1062
63	गौरा खादर		1063
64	गुरौली शुक्ल		1064


 उप-निर्देशक
 गवेस (बीटा)





65	गौरालखनपुर		1065
66	घनसौल		1066
67	घोसण		1067
68	चरका बांगर		1068
69	चरका खादर		1069
70	चकटोला		1070
71	चकरेही		1071
72	छिलोलर		1072
73	जरोहरा		1073
74	जुगरेहुली		1074
75	जामू		1075
76	जाफपरपुर		1076
77	जनवारा		1077
78	जोरावरपुर ख		1078
79	जोरावरपुर बा		1079
80	जलालपुर बांगर		1080
81	जलालपुर खादर		1081
82	टोलाकाजी		1082
83	टोला कला		1083
84	डिघौरा		1084
85	डिडौलीमाफी		1085
86	तेरा दरसेंडा		1086
87	तरायां		1087
88	तिलौसा		1088
89	थरथुवा		1089
90	देवरथा		1090
91	देह		1091
92	दपतरा		1092
93	दादोबांगर		1093
94	दादो खादर		1094
95	देवरार		1095
96	दतौरा		1096
97	धुंधुई		1097
98	नरायनपुर		1098
99	नेलाधू		1099
100	पडरी		1100
101	पेस्टा		1101
102	पाराबन्नु बेगम		1102

उप-निबंधक
बरेल (बीरा)

103	पखरौली		1103
104	पतवन		1104
105	पून		1105
106	पन्नाह		1106
107	परास		1107
108	पछौहा		1108
109	पिण्डारन		1109
110	परसौली		1110
111	पल्हरी		1111
112	पल्हरी सानी		1112
113	पारा बिहारी		1113
114	पाली		1114
115	पवइया		1115
116	फुफुन्दी		1116
117	बघन्डा		1117
118	ब्योजा		1118
119	बम्हरौला		1119
120	बम्हरौलासानी		1120
121	बछौधा		1121
122	बेराव		1122
123	बेलदान		1123
124	बनबनरौली		1124
125	बरीली आजम		1125
126	बुढौली		1126
127	बगेहटा		1127
128	बाकल खादर		1128
129	बिसंडी		1129
130	बन्थरी		1130
131	बीरा बांगर		1131
132	बिनवट		1132
133	बरीली मुस्तखारजा		1133
134	बडागांव		1134
135	बबेरु देहात		1135
136	बाकल बांगर		1136
137	बीरा खादर		1137
138	बछौधासानी		1138
139	बदौली		1139
140	बनकट		1140

उप-निबंधक
बबेरु (बाँदा)


141	बरौली बांगर		1141
142	बरौली खादर		1142
143	बघेला		1143
144	बेलगवा		1144
145	बेनामऊ		1145
146	भदवारी		1146
147	भांटी		1147
148	भीती		1148
149	भदेहदू		1149
150	भदांव		1150
151	भरौली		1151
152	भभुवा		1152
153	मढुवा		1153
154	मंठा		1154
155	मिया बरौली		1155
156	ममसी खुर्द		1156
157	मझिला		1157
158	मवईजुर्नार्दर		1158
159	मुरवल		1159
160	ममकहडी		1160
161	मवई खुर्द		1161
162	मिलाथू		1162
163	मरौली		1163
164	मवई		1164
165	मुडवारा बांगर		1165
166	मुसीवा		1166
167	मटेहना बांगर		1167
168	मटेहना खादर		1168
169	मर्का खादर		1169
170	मुडवारा खादर		1170
171	मझीवा		1171
172	मझीवां सानी		1172
173	रसूलपुर		1173
174	राछा		1174
175	रगौली		1175
176	रयान		1176
177	राधवपुर बांगर		1177
178	रेवल		1178

उप-निबंधक
बरेल (बंग)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

179	रमपुरवा			1179
180	राधौपुर खादर			1180
181	रानीपुर			1181
182	लौलीटीकामऊ			1182
183	लाखीपुर			1183
184	लोहरा			1184
185	लौधौरा खुद			1185
186	लखनपुर बांगर			1186
187	लखनपुर खादर			1187
188	समगरा बांगर			1188
189	सोनहुली			1189
190	सांतर			1190
191	शाहपुर			1191
192	सया			1192
193	सांडासानी			1193
194	सतन्यांव			1194
195	शिव			1195
196	सिकरी लखनपुर			1196
197	स्योहट			1197
198	सांडा			1198
199	सिमोनी			1199
200	समसुददीनपुर			1200
201	सेमराघाट			1201
202	साथी			1202
203	सोनहुला			1203
204	समगरा खादर			1204
205	हरदौली			1205
206	मऊ			1206
207	निभौर			1207


 निभौर
 जनेस (बाँटा)





भाग-2

प्रारूप-2

उपजिला बबेरु जिला बादा के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय, अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्णानुक्रम में अकृषक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बेसिक वेल्यू)

सौपटयर में आबंटित किया गया वी-कोड	गाँहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	परगना या वार्ड या हल्का का नाम	नगरीय, अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र	अकृषक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर रू० में	प्रस्तावित
1	2	3	4	5	6
1001	अमवान	बबेरु	ग्रामीण	2500	2500
0008	अजाद नगर	"	अर्धनगरीय	5000	6000
1002	अमलोखर	"	ग्रामीण	600	700
1003	अरथरा	"	ग्रामीण	600	700
1004	अरवारी बांगर	"	ग्रामीण	600	700
1005	आदिहा	"	ग्रामीण	600	700
1006	अमौरा	"	ग्रामीण	600	700
1007	आँकाना	"	ग्रामीण	600	700
1008	अरमार	"	ग्रामीण	600	700
1009	अमेठी बांगर	"	ग्रामीण	600	700
1010	अछरील	"	ग्रामीण	600	700
1011	अण्डौली	"	ग्रामीण	600	700
1012	असाव	"	ग्रामीण	600	700
1013	अहार	"	ग्रामीण	600	700
1014	अदौरा	"	ग्रामीण	600	700
1015	आँगासी बांगर	"	ग्रामीण	2000	2200
1016	अछाह	"	ग्रामीण	2000	2200
1017	अमरगंज	"	ग्रामीण	600	700
1018	अमेठी खादर	"	ग्रामीण	600	700
1019	अरवारी खादर	"	ग्रामीण	600	700
1020	आलमपुर	"	ग्रामीण	600	700
1021	अलेहा	"	ग्रामीण	1200	1300
1022	आँगासी खादर	"	ग्रामीण	600	2200
1023	इंगुवा	"	ग्रामीण	2000	700
1024	अमलोहरा	"	ग्रामीण	600	700
1025	इतरा बढौनी	"	ग्रामीण	600	700
1026	इतरा	"	ग्रामीण	600	700
1027	अमर	"	ग्रामीण	2500	2500

1028	उगरहनी	"	ग्रामीण	2500	2500
1029	उडकं भाफी	"	ग्रामीण	600	700
0001	करुइ थापुरवा	"	अर्धनगरीय	5000	6000
1030	केलहनुवा	"	ग्रामीण	600	700
1031	फोनी	"	ग्रामीण	600	700
1032	करिंगा	"	ग्रामीण	600	700
1033	कलाना	"	ग्रामीण	600	700
1034	कायल	"	ग्रामीण	600	700
1035	कौहारा	"	ग्रामीण	600	700
1036	कुमेंदासानी	"	ग्रामीण	600	700
1037	कुवेन्दू	"	ग्रामीण	600	700
1038	किटहाई	"	ग्रामीण	600	700
1039	कुधौली	"	ग्रामीण	600	700
1040	करहुली भाफी	"	ग्रामीण	600	700
1041	कदोहर	"	ग्रामीण	600	700
1042	कोरम	"	ग्रामीण	2000	2500
1043	कोरारी	"	ग्रामीण	600	700
1044	कोरा बुजुर्म	"	ग्रामीण	600	700
1045	कठार बांगर	"	ग्रामीण	600	700
1046	कठार खादर	"	ग्रामीण	600	700
1047	कोरही	"	ग्रामीण	1200	1300
1048	कोलौरा	"	ग्रामीण	600	700
1049	कुमेंदा	"	ग्रामीण	600	700
1050	कैरी	"	ग्रामीण	600	700
1051	कमासिन	"	ग्रामीण	4700	5000
1052	कबीरपुर	"	ग्रामीण	600	700
1053	कोरा खुर्द	"	ग्रामीण	600	700
1054	खरौली	"	ग्रामीण	600	700
1055	खमरखा	"	ग्रामीण	600	700
1056	खेरा खादर	"	ग्रामीण	600	700
1057	खेरा बांगर	"	ग्रामीण	600	700
1058	खटान बांगर	"	ग्रामीण	600	700
1059	खटान खादर	"	ग्रामीण	600	700
0006	गांधी नगर	"	अर्धनगरीय	3500	4000
1060	गुरौली सपहाई	"	ग्रामीण	600	700
1061	गुजेनी	"	ग्रामीण	600	700
1062	गौरा बांगर	"	ग्रामीण	600	700

66	1063	गौरा खादर	"	ग्रामीण	600	700
67	1064	गुरीली शुक्ल	"	ग्रामीण	600	700
68	1065	गौरालखनपुर	"	ग्रामीण	600	700
69	1066	घनसौल	"	ग्रामीण	600	700
70	1067	घोसण	"	ग्रामीण	600	700
71	1068	चरका बांगर	"	ग्रामीण	600	700
72	1069	चरका खादर	"	ग्रामीण	600	700
73	1070	चकटोला	"	ग्रामीण	600	700
74	1071	चकरेही	"	ग्रामीण	600	700
75	1072	छिलोलर	"	ग्रामीण	600	700
76	1073	जरोहरा	"	ग्रामीण	600	700
77	1074	जुगरेहुली	"	ग्रामीण	600	700
78	1075	जामू	"	ग्रामीण	1200	1300
79	1076	जाफपरपुर	"	ग्रामीण	600	700
80	1077	जनवारा	"	ग्रामीण	600	700
81	1078	जोरावरपुर ख	"	ग्रामीण	600	700
82	1079	जोरावरपुर बा	"	ग्रामीण	600	700
83	1080	जलालपुर बांगर	"	ग्रामीण	600	700
84	1081	जलालपुर खादर	"	ग्रामीण	600	700
85	1082	टोलाकाजी	"	ग्रामीण	1000	1200
86	1083	टोला कला	"	ग्रामीण	2000	2500
87	1084	डिघौरा	"	ग्रामीण	600	700
88	1085	डिडौलीमाफी	"	ग्रामीण	600	700
89	1086	तेरा दरसैंडा	"	ग्रामीण	600	700
90	1087	तरायां	"	ग्रामीण	600	700
91	1088	तिलौसा	"	ग्रामीण	600	700
92	1089	थरथुवा	"	ग्रामीण	600	700
93	0006	देवीनगर	"	अर्धनगरीय	9000	10000
94	0012	दूल थोक	"	अर्धनगरीय	9000	10000
95	1090	देवरथा	"	ग्रामीण	600	700
96	1091	देह	"	ग्रामीण	600	700
97	1092	दफतरा	"	ग्रामीण	600	700
98	1093	दांदोबांगर	"	ग्रामीण	600	700
99	1094	दांदो खादर	"	ग्रामीण	600	700
100	1095	देवरा	"	ग्रामीण	600	700
101	1096	दतौरा	"	ग्रामीण	600	700
102	1097	धुधुई	"	ग्रामीण	600	700

10/10/20

10/10/20

10/10/20

103	1098	नरायनपुर	"	ग्रामीण	600	700
104	1099	नेलाथू	"	ग्रामीण	600	700
105	0007	प्रभाकर नगर	"	अर्धनगरीय	9000	10000
106	1100	पडरी	"	ग्रामीण	600	700
107	1101	पेस्टा	"	ग्रामीण	600	700
108	1102	पाराबन्नु बेगम	"	ग्रामीण	600	700
109	1103	पखरौली	"	ग्रामीण	600	700
110	1104	पतवन	"	ग्रामीण	4000	2200
111	1105	पून	"	ग्रामीण	600	700
112	1106	पन्नाह	"	ग्रामीण	600	700
113	1107	परास	"	ग्रामीण	600	700
114	1108	पछौंहा	"	ग्रामीण	1200	1300
115	1109	पिण्डारन	"	ग्रामीण	600	700
116	1110	परसौली	"	ग्रामीण	600	700
117	1111	पल्हरी	"	ग्रामीण	1200	1300
118	1112	पल्हरी सानी	"	ग्रामीण	600	700
119	1113	पारा बिहारी	"	ग्रामीण	600	700
120	1114	पाली	"	ग्रामीण	600	700
121	1115	पवइया	"	ग्रामीण	600	700
122	1116	फुफुन्दी	"	ग्रामीण	600	700
123	0004	विभार थोक	"	अर्धनगरीय	5000	6000
124	1117	बघन्डा	"	ग्रामीण	600	700
125	1118	ब्योजा	"	ग्रामीण	600	700
126	1119	बम्हरोला	"	ग्रामीण	600	700
127	1120	बम्हरोलासानी	"	ग्रामीण	600	700
128	1121	बछौंघा	"	ग्रामीण	600	700
129	1122	बेराव	"	ग्रामीण	1200	1300
130	1123	बेलदान	"	ग्रामीण	600	700
131	1124	बनबनरौली	"	ग्रामीण	600	700
132	1125	बरौली आजम	"	ग्रामीण	600	700
133	1126	बुढौली	"	ग्रामीण	600	700
134	1127	बगेहटा	"	ग्रामीण	600	700
135	1128	बाकल खादर	"	ग्रामीण	600	700
136	1129	बिसंडी	"	ग्रामीण	600	700
137	1130	बन्थरी	"	ग्रामीण	600	700
138	1131	बीरा बांगर	"	ग्रामीण	600	700
139	1132	बिनवट	"	ग्रामीण	600	700


139

139

140	1133	बरौली मुस्ताखारजा	"	ग्रामीण	600	700
141	1134	बडागांव	"	ग्रामीण	600	700
142	1135	बबेरू देहात	"	ग्रामीण	10000	10000
143	1136	बाकल बांगर	"	ग्रामीण	600	700
144	1137	बीरा खादर	"	ग्रामीण	600	700
145	1138	बछौधासानी	"	ग्रामीण	600	700
146	1139	बदौली	"	ग्रामीण	600	700
147	1140	बनकट	"	ग्रामीण	600	700
148	1141	बरौली बांगर	"	ग्रामीण	600	700
149	1142	बरौली खादर	"	ग्रामीण	600	700
150	1143	बघेला	"	ग्रामीण	600	700
151	1144	बेलगवां	"	ग्रामीण	600	700
152	1145	बेनामऊ	"	ग्रामीण	600	700
153	1146	भदवारी	"	ग्रामीण	600	700
154	1147	भांटी	"	ग्रामीण	600	700
155	1148	भीती	"	ग्रामीण	600	700
156	1149	भदेहदू	"	ग्रामीण	1200	1300
157	1150	भदांव	"	ग्रामीण	600	700
158	1151	भरौली	"	ग्रामीण	600	700
159	1152	भभुवा	"	ग्रामीण	1200	1300
160	0005	मनोरथ थोक (बस्ती में)	"	अर्धनगरीय	9000	10000
161	0009	मनोरथ थोक	"	अर्धनगरीय	9000	10000
162	1153	मढुवा	"	ग्रामीण	600	700
163	1154	मठा	"	ग्रामीण	600	700
164	1155	मिया बरौली	"	ग्रामीण	600	700
165	1156	ममसी खुर्द	"	ग्रामीण	600	700
166	1157	मझिला	"	ग्रामीण	600	700
167	1158	मवईजुर्नार्दर	"	ग्रामीण	600	700
168	1159	मुरवल	"	ग्रामीण	4700	5000
169	1160	ममकहडी	"	ग्रामीण	600	700
170	1161	मवई खुर्द	"	ग्रामीण	600	700
171	1162	मिलाथू	"	ग्रामीण	1200	1300
172	1163	मरौली	"	ग्रामीण	600	700
173	1164	मवई	"	ग्रामीण	600	700
174	1165	मुडवारा बांगर	"	ग्रामीण	600	700
175	1166	मुसीवा	"	ग्रामीण	1200	1300
176	1167	मटेहना बांगर	"	ग्रामीण	600	700

1168	मटेहना खादर	"	ग्रामीण	600	700
1169	मर्का खादर/बांगर	"	ग्रामीण	1200	1300
1170	मुडवारा खादर	"	ग्रामीण	600	700
1171	मझीवा	"	ग्रामीण	600	700
1172	मझीवां सानी	"	ग्रामीण	600	700
0002	राधव थोक	"	अर्धनगरीय	5000	6000
1173	रसूलपुर	"	ग्रामीण	600	700
1174	राछा	"	ग्रामीण	600	700
1175	रगोली	"	ग्रामीण	600	700
1176	रयान	"	ग्रामीण	600	700
1177	राधवपुर बांगर	"	ग्रामीण	600	700
1178	रेवल	"	ग्रामीण	600	700
1179	रभपुरवा	"	ग्रामीण	600	700
1180	राधौपुर खादर	"	ग्रामीण	600	700
1181	रानीपुर	"	ग्रामीण	600	700
1182	लौलीटीकामऊ	"	ग्रामीण	600	700
1183	लाखीपुर	"	ग्रामीण	600	700
1184	लोहरा	"	ग्रामीण	1200	1300
1185	लौधौरा खुर्द	"	ग्रामीण	600	700
1186	लखनपुर बांगर	"	ग्रामीण	600	700
1187	लखनपुर खादर	"	ग्रामीण	600	700
0010	शास्त्री नगर	"	अर्धनगरीय	4500	5000
0011	श्रंगार थोक	"	अर्धनगरीय	4500	5000
1188	सगमरा बांगर	"	ग्रामीण	600	700
1189	सोनहुली	"	ग्रामीण	600	700
1190	सांतर	"	ग्रामीण	600	700
1191	शाहपुर	"	ग्रामीण	600	700
1192	सया	"	ग्रामीण	600	700
1193	सांडारानी	"	ग्रामीण	1200	1300
1194	सतन्यांव	"	ग्रामीण	600	700
1195	शिव	"	ग्रामीण	600	700
1196	सिकरी लखनपुर	"	ग्रामीण	600	700
1197	स्योहट	"	ग्रामीण	600	700
1198	सांडा	"	ग्रामीण	600	700
1199	शिमौनी	"	ग्रामीण	1200	1300
1200	रामसुददीनपुर	"	ग्रामीण	600	700
1201	रोमराघाट	"	ग्रामीण	600	700

214	1202	साथी	"	ग्रामीण	1200	1300
215	1203	सोनहुला	"	ग्रामीण	600	700
216	1204	समगरा खादर	"	ग्रामीण	600	700
217	1205	हरदौली	"	ग्रामीण	5000	5500
218	1206	मऊ	"	ग्रामीण	600	700
219	1207	निभौर	"	ग्रामीण	600	700


उप-निबंधक
बरेल (बाँदा)



प्रारूप-3

नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य मार्गों के रोड सेगमेंट पर पड़ने वाले मौहल्ले या राजस्व ग्राम की अकृषक भूमि की तथा वाणिज्यिक सम्पत्ति की किराये की न्यूनतम दरें प्रति वर्ग मीटर

क्रम संख्या एवं रोड सेगमेंट का नाम कहा से कहाँ तक	मौहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	प्रारूप-1 में आवंटित किया गया वी-कोड	अकृषक भूमि की दर	प्रस्तावित	वाणिज्य सम्पत्ति की किराये की दर					
					दुकान	प्रस्तावित	कार्यालय	प्रस्तावित	गोदाम व अन्य	प्रस्तावित
1 मुख्य चौराहे से बांदा रोड पर बबेरु राजस्व ग्राम सीमा तक	मनोरथ थोक	0009	18000	18000	300	300	180	180	150	150
2 मुख्य चौराहे से कमासिन रोड पर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय तक	देवी नगर	0003	18000	18000	300	300	180	180	150	150

क-उप जिला... जिला... के अर्धनगरीय/ग्रामीण क्षेत्र... के मुख्य मार्गों पर अकृषक भूमि तथा वाणिज्य सम्पत्ति की न्यूनतम दर प्रति वर्गमीटर

उप-निबंधक
बनेक (बांदा)

(Handwritten signature)

3 मुख्य चौराहे से अर्तरी रोड पर लवकुश महाविद्यालय हरुमान मन्दिर तक	मनोरथ थोक वार्ड 5	0009	18000	18000	300	300	180	180	150	150
4 मुख्य चौराहे से औगासी रोड पर औगासी सम्पर्क मार्ग तक	मनोरथ थोक वार्ड 5	0009	18000	18000	300	300	180	180	150	150
5 मुख्य चौराहे से मर्का रोड पर बालिका महाविद्यालय तक	करुइहा पुरवा	0001	18000	18000	300	300	180	180	150	150
6 मुख्य चौराहे से ओरन रोड पर लवकुश महाविद्यालय के मोड तक	देवी नगर वार्ड नं० 3	0003	18000	18000	300	300	180	180	150	150

16.7

16.7

16.7


उप-निबंधक
नवेरु (गौडा)

7 बाँदा रोड से हरदौली रोड नहर पटरी के दोनों तरफ एवं हरदौली रोड पर नहर पटरी के दोनों तरफ डाक बंगला के आगे पंचायत भवन को जोड़ने वाली रोड, बाँदा रोड नहर पटरी के दोनों तरफ झाल तक डाक बंगला के आगे पंचायत भवन को जोड़ने वाली रोड के बाद प्राथमिक विद्यालय जुनिहा पुरवा तक नहर के दोनों तरफ	मनोरथ थोक वार्ड नं० 9	0009	11000	11000	300	300	180	180	150	150
---	--------------------------	------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----


 उपनिबंधक
 बरेल (बाँदा)



8 औगासी रोड से तहसील वाली रोड नई तहसील कैम्पस तक तथा नई तहसील कैम्पस से औगासी रोड मिलान तक	मनोरथ थोक बोर्ड नं० 9	0009	16000	16000	300	300	180	180	150	150
9 नहर पटरी जमुनिहा पुरवा पाठशाला से औगासी रोड मिलान तक	ग्रामीण	निल	18000	18000	300	300	180	180	150	150
10 तहसील कम्पाउण्ड के पीछे पंचायत भवन से नहर सीमा तक	ग्रामीण	निल	11000	11000	300	300	180	180	150	150
1 कमासिन बस स्टैण्ड से राजापुर रोड पर निरंकारी भवन तक	कमासिन	1051	6500	7000	300	300	180	180	150	150





उप-निबंधक
बरेल (बौवा)

2 कमासिन बस स्टैण्ड से दादौ रोड पर दादौ घाट तिराहे तक	कमासिन	1051	6500	7000	300	300	180	180	180	150	150
3 दादौ घाट स्थित से डॉ० मन्दलाल शुक्ल के डिग्री कालेज तक	कमासिन	1051	6500	7000	300	300	180	180	180	150	150
4 कमासिन बस स्टैण्ड से बबेरु की तस्फ पेट्रोल पम्प तक	कमासिन	1051	6500	7000	300	300	180	180	180	150	150
5 कमासिन बस स्टैण्ड से ओरन रोड पर 01 कि०मी० सीमा चिन्ह तक	कमासिन	1051	6500	7000	300	300	180	180	180	150	150
1 मुरवल	मुरवल	1159	6000	6500	300	300	150	150	130	130	130
2 हरदौली	हरदौली	1205	8200	8500	300	300	180	180	150	150	150

उप-निबंधक
बबेरु (बाँसा)





प्रारूप-4

इस प्रारूप में प्रारूप-2 व प्रारूप-3 में दी गयी दरों से भिन्न अन्य सभी प्रकार की कृषक तथा अकृषक भूमि की तथा वाणिज्यिक सम्पत्ति की न्यूनतम दरें प्रति वर्गमीटर समस्त उप जिले के अधीन सम्पूर्ण नगरीय अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र वर्णानुक्रम में की इति की जायेगी-

प्रारूप-1 में आवंटित किया गया वी-कोड	मोहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	ग्रामी नगरीय अर्धनगरीय या ग्रामीण	अकृषक भूमि की न्यूनतम दरें प्रति वर्ग मी० ₹० में				वाणिज्यिक सम्पत्ति की किराये की दर प्रति वर्ग मी०	प्रस्तावित	सड़क पर स्थित भूमि रि दरें लाख रुपये में	प्रस्तावित	आबादी से सटी हुयी भूमि दरें प्रति हे० लाख ₹० में	प्रस्तावित	सामान्य भूमि	प्रस्तावित
			3 मीटर या उसे अधिक 4 मीटर तक चौड़े रास्ते पर प्रति वर्ग मी०	प्रस्तावित	4 मीटर से अधिक चौड़े रास्ते पर प्रति वर्ग मी०	प्रस्तावित								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1001	अनबाव		2000 ₹०	2700 ₹०	3000 ₹०	3400 ₹०	80 ₹०	80 ₹०	8 लाख/7.80	9 लाख	25 लाख/23 लाख	28 लाख	6.00 लाख/5.80	7.00 लाख
0008	आजाद नगर		5000 ₹०	11900 ₹०	18000 ₹०	18000 ₹०	300 ₹०	300 ₹०						
1002	अमलोखर		700 ₹०	800 ₹०	800 ₹०	900 ₹०	80 ₹०	80 ₹०	8 लाख/7.80	9 लाख	25 लाख/23 लाख	28 लाख	6.00 लाख/5.80	7.00 लाख
1003	अस्थरा		700 ₹०	800 ₹०	800 ₹०	900 ₹०	80 ₹०	80 ₹०	8 लाख/7.80	9 लाख	25 लाख/23 लाख	28 लाख	6.00 लाख/5.80	7.00 लाख
1004	अरवारी बांगर		700 ₹०	800 ₹०	800 ₹०	900 ₹०	80 ₹०	80 ₹०	8 लाख/7.80	9 लाख	25 लाख/23 लाख	28 लाख	6.00 लाख/5.80	7.00 लाख
1005	प्रोदहा		700 ₹०	800 ₹०	800 ₹०	900 ₹०	80 ₹०	80 ₹०	8 लाख/7.80	9 लाख	25 लाख/23 लाख	28 लाख	6.00 लाख/5.80	7.00 लाख
1006	अनौसा		700 ₹०	800 ₹०	800 ₹०	900 ₹०	80 ₹०	80 ₹०	8 लाख/7.80	9 लाख	25 लाख/23 लाख	28 लाख	6.00 लाख/5.80	7.00 लाख
1007	ओकाना		700 ₹०	800 ₹०	800 ₹०	900 ₹०	80 ₹०	80 ₹०	8 लाख/7.80	9 लाख	25 लाख/23 लाख	28 लाख	6.00 लाख/5.80	7.00 लाख
1008	अरमार		700 ₹०	800 ₹०	800 ₹०	900 ₹०	80 ₹०	80 ₹०	8 लाख/7.80	9 लाख	25 लाख/23 लाख	28 लाख	6.00 लाख/5.80	7.00 लाख
1009	अमेठी बांगर		700 ₹०	800 ₹०	800 ₹०	900 ₹०	80 ₹०	80 ₹०	8 लाख/7.80	9 लाख	25 लाख/23 लाख	28 लाख	6.00 लाख/5.80	7.00 लाख
1010	अछरील		700 ₹०	800 ₹०	800 ₹०	900 ₹०	80 ₹०	80 ₹०	8 लाख/7.80	9 लाख	25 लाख/23 लाख	28 लाख	6.00 लाख/5.80	7.00 लाख
1011	अण्डौली		700 ₹०	800 ₹०	800 ₹०	900 ₹०	80 ₹०	80 ₹०	8 लाख/7.80	9 लाख	25 लाख/23 लाख	28 लाख	6.00 लाख/5.80	7.00 लाख
1012	आवाव		700 ₹०	800 ₹०	800 ₹०	900 ₹०	80 ₹०	80 ₹०	8 लाख/7.80	9 लाख	25 लाख/23 लाख	28 लाख	6.00 लाख/5.80	7.00 लाख

उप-निबंधक
लखनऊ (बाँदा)

